भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

08.12.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1650 का उत्तर

आईआरएसडीसी को बंद करना

1650. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रेल ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) को भंग करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रेल ने भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (आईआरओएएफ) को पहले बंद कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो दोनों संस्थाओं के बंद होने से भारतीय रेल को किस प्रकार से लाभ होगा और इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन दोनों संस्थाओं के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे निकायों को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) भारत में रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय 24*7 हब में बदलने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

आईआरएसडीसी को बंद करने के संबंध में 08.12.2021 को लोक सभा में डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और डॉ. सुभाष रामराव भामरे के अतारांकित प्रश्न सं. 1650 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): जी हां। विशेष प्रयोज्य योजना, भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 12 अप्रैल, 2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। स्टेशन विकास/पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत आईआरएसडीसी और आरएलडीए दोनों द्वारा निष्पादित गतिविधियां समान थीं। अतः यह आवश्यकता महसूस की गई कि दोनों निकायों में से किसी एक को एकमात्र कार्यशील कंपनी के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और इसे पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तदनुसार, यह विनिश्चय किया गया था कि आईआरएसडीसी को बंद कर दिया जाए और वर्तमान में आईआरएसडीसी को सौंपे गए कार्यों को रेल अधिनियम, 1989 के तहत सांविधिक प्राधिकरण होने के नाते आरएलडीए को तथा क्षेत्रीय रेलों को हस्तांतरित कर दिया जाए। इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल (आईआरओएएफ) को 07.09.2021 को बंद कर दिया गया है और इसका कार्य उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड के बीच पुनर्वितरित कर दिया गया है।

(घ): आईआरओएएफ में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारी उनकी संबंधित रेलवे/इकाई में वापस भेज दिए गए हैं। आईआरएसडीसी में कार्य करने वाले रेलवे अधिकारियों को क्षेत्रीय रेलों और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) में समायोजित किया जा रहा है।

(ङ): संगठन को आधुनिक, अद्यतन और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए परिचालनिक आवश्यकता के अनुसार सुधार एवं पुनर्संरचना करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में, रेल मंत्रालय के तहत सरकारी निकायों के यौक्तिकरण पर प्रमुख आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार रिपोर्ट को प्रस्तावित युक्तिकरण का संकेत देते हुए रेल मंत्रालय को भेजा गया था। रिपोर्ट में रेलवे स्कूलों, रेलवे अस्पतालों, केन्द्रीय/क्षेत्रीय प्रक्षिशण संस्थानों, रेल मंत्रालय के अधीन सीपीएसयू, आदि के यौक्तिकरण और साथ ही कुछ संस्थानों अर्थात् कोर, आईआरओएएफ, कॉफमो, आईआरएसडीसी, आदि को समाप्त/विलय करने का उल्लेख किया गया है।

(च): रेल मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों के जरिए रेलवे स्टेशनों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करता है। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणाम के आधार पर, स्टेशनों को विशेष रूप से प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में स्थित स्टेशनों को चरणों में विकसित करने की योजना बनाई जाती है।

******

S.K